

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 1.825किमी. (0.495है0)।

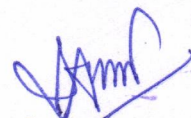
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

ह./-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह./-
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

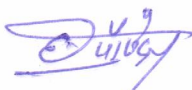
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
जिलाधिकारी

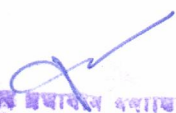

पटवारी
पायलगांव


वन क्षेत्र अधिकारी,
रानीखेत वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)


तहसीलदार भिकियाखेत
अल्मोड़ा


उपजिलाधिकारी,
भिकियाखेत (उत्तराखण्ड)


2024


उप जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

अल्मोड़ा